झारखण्ड सरकार,
कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

:: संकल्प ::

कृपया पढ़े :–

1. उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची(उच्च शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड, राँची का पत्रांक–2850 दिनांक–11.12.2017

2. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची का पत्रांक–12603 दिनांक–27.12.2017, पत्रांक–582 दिनांक–18.01.2018, पत्रांक–1597 दिनांक–28.02.2018, प्रेस विज्ञप्ति दिनांक–08.03.2018, संकल्प संख्या–2927 दिनांक–04.05.2018 एवं पत्रांक–7786 दिनांक–24.10.2018।

3. संचालन पदाधिकारी का पत्रांक–127 (अनु0), दिनांक–15.06.2018।

झारखण्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के श्री सुरेन्द्र प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रधान आप्त सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के विरूद्ध संयुक्त निदेशक, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग(उच्च शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड, राँची के पत्रांक–2850, दिनांक 11.12.2017 द्वारा प्रपत्र– 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया है। श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रपत्र 'क' में निम्न आरोप प्रतिवेदित है:–

आरोप का सारांश:– श्री सुरेन्द्र प्रसाद के विरूद्ध गैर कानूनी एवं फर्जी तरीके से श्रीमती वैशाली बक्सी उर्फ बिन्नु देवी नाम की किसी महिला का नाम अपनी पत्नी के रूप में एवं इनकी दो पुत्रियों यथा– अकांशी एवं अंशिका का नाम अपनी पुत्री के रूप में पेंशन स्वीकृति प्रत्रक में दर्ज कराया गया है। फलस्वरूप श्री प्रसाद के विरूद्ध निम्नलिखित आरोप बनते हैं:–

आरोप संख्या–01:– श्री प्रसाद की पुत्रियों यथा श्रीमती अनीता सिन्हा एवं श्रीमती दीपिका कुमारी सिन्हा द्वारा आरोप लगाया गया है कि उनके पिता श्री प्रसाद ने गैर कानूनी एवं फर्जी कागजात बनाकर श्रीमती वैशाली बक्सी उर्फ बिन्नु नाम की किसी महिला का नाम पेंशन स्वीकृति पत्रक में अपनी पत्नी के रूप में दर्ज करा दिया है, जबकि श्री प्रसाद की पत्नी की मृत्यु वर्ष 2014 में ही हो चुकी है तथा अपनी पत्नी की मृत्यु के उपरांत उन्होंने शादी नहीं की है।

आरोप संख्या–02:– श्री प्रसाद ने गैर कानूनी एवं फर्जी तरीके से श्रीमती वैशाली बक्सी उर्फ बिन्नु देवी की दो पुत्रियों यथा– श्रीमती अकांशी एवं अंशिक का नाम अपनी पेंशन स्वीकृति प्रत्रक में अपनी पुत्री के रूप में दर्ज करा दिया है।

उक्त आरोपों पर विभागीय पत्रांक–12603 दिनांक–27.12.2017 के द्वारा श्री प्रसाद से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। जिसके अनुपालन में श्री प्रसाद के द्वारा अपना

स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया। विभागीय पत्रांक–582 दिनांक–18.01.2018, पत्रांक–1597 दिनांक– 28.02.2018 एवं प्रेस विज्ञप्ति दिनांक– 08.03.2018 के द्वारा स्मारित किये जाने के बाबजूद भी श्री प्रसाद के द्वारा उक्त आरोपों के संबंध में अपना स्पष्टीकरण विभाग में समर्पित नहीं किया गया।

उक्त के आलोक में विभागीय संकल्प संख्या–2927 दिनांक–04.05.2018 के द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी जिसमें श्री विनोद चन्द्र झा, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

संचालन पदाधिकारी का पत्रांक–127 (अनु0), दिनांक–15.06.2018 द्वारा विभागीय जाँच पदाधिकारी का जाँच–प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है। संचालन पदाधिकारी के द्वारा श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रपत्र–'क' में गठित दोनों (02) आरोपों, आरोप संख्या–01 एवं आरोप संख्या–02 को, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, प्रमाणित प्रतिवेदित किया गया है।

श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव–बयान एवं संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त, प्रमाणित आरोपों हेतु पेंशन नियमावली 43(क) एवं (ख) तथा नियम–139(ख) में वर्णित प्रावधानों के तहत श्री प्रसाद के मूल पेंशन के 05 प्रतिशत की दर से अगले 02 वर्ष तक समपहरण का दण्ड/शास्ति अधिरोपित करने के बिन्दु पर श्री प्रसाद से द्वित्तीय कारण पृच्छा का निर्णय लिया गया। तद्नुसार, विभागीय पत्रांक–7786 दिनांक–24.10.2018 के द्वारा श्री प्रसाद से द्वित्तीय कारण पृच्छा की माँग की गई। श्री प्रसाद के पत्र, दिनांक– 26.10.2018 द्वारा द्वित्तीय कारण पृच्छा का उत्तर समर्पित किया गया।

श्री प्रसाद से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री प्रसाद के द्वारा कोई ऐसा तथ्य या प्रमाण नहीं दिया गया है कि जिसकें आधार पर प्रस्तावित शास्ति/दण्ड को कम किये जाने पर विचार किया जा सके।

समीक्षोपरांत श्री प्रसाद के विरूद्ध पेंशन नियमावली 43(क) एवं (ख) तथा नियम–139(ख) में वर्णित प्रावधानों के तहत श्री प्रसाद के मूल पेंशन के 05 प्रतिशत की दर से अगले 02 (दो) वर्ष तक समपहरण का दण्ड/शास्ति अधिरोपण हेतु माननीय मुख्य (विभागीय) मंत्री, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्णय लिया गया।

अतः श्री सुरेन्द्र प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रधान आप्त सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के विरूद्ध पेंशन नियमावली 43(क) एवं (ख) तथा नियम–139(ख) में वर्णित प्रावधानों के तहत

श्री प्रसाद के मूल पेंशन के 05 प्रतिशत की दर से अगले 02 वर्ष तक समपहरण का दण्ड/शास्ति अधिरोपित किया जाता है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री सुरेन्द्र प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रधान आप्त सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(सतीश कुमार जायसवाल)
सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक–12/आरोप–10–05/2017 का०– 8817 /राँची, दिनांक 4.12.2018ई0।

प्रतिलिपि– नोडल पदाधिकारी, ई–गजट, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची/राज्यपाल, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री, झारखण्ड के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव कोषांग, झारखण्ड, राँची/विभागीय प्रधान सचिव कोषांग/सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/संयुक्त निदेशक, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग(उच्च शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड, राँची/अवर सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग (उच्च शिक्षा निदेशालय), झारखण्ड, राँची एवं श्री सुरेन्द्र प्रसाद, सेवानिवृत्त प्रधान आप्त सचिव, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड, राँची (वर्त्तमान पत्ता– आवास संख्या– बी–301, बालमुकुन्द अपार्टमेंट, गुरूद्वारा रोड, हटिया, पो0–निफ्ट, थाना–जगरनाथपुर, राँची) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

04.12.18

सरकार के संयुक्त सचिव।